

सी.जी.-डी.एल.-सा.-25022025-261297 CG-DL-W-25022025-261297

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 04] नई दिल्ली, फरवरी 16—फर

नई दिल्ली, फरवरी 16—फरवरी 22, 2025, शनिवार/माघ 27—फाल्गुन 3, 1946

No. 04]

NEW DELHI, FEBRUARY 16— FEBRUARY 22, 2025, SATURDAY/MAGHA 27– PHALGUNA 3, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2024

सा.का.नि. 13.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो), सहायक निदेशक भर्ती नियम, 2010 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में समूह 'क' के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, सहायक निदेशक समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2024 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

984 GI/2025 (63)

 candidates otherwise well qualified.
Note 2 The qualifications regarding
experience are relaxable at the
discretion of the Union Public
Service Commission, for reasons to
be recorded in writing, in the case of
candidates belonging to the
Scheduled Castes or the Scheduled
Tribes, if at any stage of selection, the
Union Public Service Commission is
of the opinion that sufficient number
of candidates from these communities
possessing the requisite experience
are not likely to be available to fill up
the vacancy reserved for them.

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1 The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations or Department of the Central Government shall not exceed three years. Note 2 The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Director, North Eastern Police Academy, Shillong -Chairman; 2. Additional Director, North Eastern Police Academy, Shillong -Member; 3. Joint Director, North Eastern Police Academy, Shillong -Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment only.

[F.No. 23011/41/2023-PoliceTrg.] CHANDAN KUMAR, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 16.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा अभिलेख सहायक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग

अस्पताल, नई दिल्ली, चिकित्सा अभिलेख सहायक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2025 है।

- 2. (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
 - 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता: वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है: या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिकित्सा अभिलेख सहायक	16* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (19900– 63200 रुपये)	अचयन पद	18 से 27 वर्ष आयु के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।
सीधे भर्ती किए शैक्षिक और अन	ुजाने वाले व्यक्तियों ^ह य अर्हताएं		ोधे भर्ती किए [ः] यक्तियों के लि।		परिवीक्षा की भर्ती की पद्धति, भर्ती अवधि, यदि कोई हो सीधी होगी या

	आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(1). किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (2). (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से चिकित्सा अभिलेख में डिप्लोमा, या (ii). किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से चिकित्सा अभिलेख में स्नातक डिग्री, या (iii). केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से चिकित्सा अभिलेखों में न्यूनतम 06 मास का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र, और (3) (i) डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम धारकों की दशा में 50 या इससे अधिक बिस्तर वाले किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल के चिकित्सा अभिलेख यूनिट में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव। (ii) डिग्री धारकों की दशा में मान्यताप्राप्त अस्पताल जिसमें 50 या 50 से अधिक बिस्तर हैं, के चिकित्सा अभिलेख यूनिट में छह मास का अनुभव।; (iii) अनुभव, प्रमाणपत्र या डिप्लोमा या डिग्री के पूर्ण होने के पश्चात अर्जित किया जाना चाहिए। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्रधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों की यह राय है की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	आयु-नहीं अर्हता-हाँ	दो वर्ष (सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए। टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिये केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम 2 सप्ताह की अवधि का एक अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया		 ति है, तो उसकी संरचन।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में

जाएगा		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: समूह 'ग' कर्मचारियों से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-I में (रु.18000-56900) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिनके पास स्तम्भ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हों।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल -अध्यक्ष;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।
टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए	 उपनिदेशक प्रशासन (संबद्ध) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; उप निदेशक, प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल -सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल -अध्यक्ष; उपनिदेशक प्रशासन (संबद्ध) स्वास्थ्य सेवा 	
अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	महानिदेशालय -सदस्य; 3. उप निदेशक, प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल -सदस्य।	

[फा. सं. ए-11018/25/2024- एम एच-II]

अभिषेक पांडेय. अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 7th February, 2025

- **G.S.R. 16.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Medical Record Assistant in the, Safdarjang Hospital, New Delhi in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-
- 1. **Short title and commencement.** -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjang Hospital, New Delhi, Medical Record Assistant, Group 'C' post, Recruitment Rules, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.-** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** -The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax such of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non- selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Medical Record Assistant	*16 (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Non- Selection.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
 (1). 12th class pass from a recognised Board; and (2). (i) Diploma in Medical Record from a recognised institute; or (ii). Bachelor's degree in Medical Record from a recognised university or institute, or (iii). certificate training course of at least six months in Medical records from Central Bureau of Health Intelligence or Government recognised institute or university; and (3.) (i) experience of at least one year in the medical record unit of fifty or more bedded 	Age-No. Qualification-Yes	Two years for direct recruits. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By Promotion, failing which by direct recruitment.

recognised hospital in case of diploma or certificate training course holders; (ii) experience of six months in the Medical Record Unit of fifty or more bedded recognised

In case of recruitment by promotion or	by	If	a	Den	artmental	Promotion	Circumstances
	•				•		
them.							
available to fill up the vacancies reserved for							
requisite experience are not likely to be							
from these communities possessing the							
opinion that sufficient number of candidates							
competent authority is of the							
selection, the Staff Selection Commission or							
Scheduled Tribes, if at any stage of							
the Scheduled Castes and the							
writing in the case of candidates belonging to							
authority for the reasons to be recorded in							
Staff Selection Commission or competent							
is relaxable at the discretion of the							
Note 2: The qualifications regarding experience							
well qualified.							
in writing in the case of candidates otherwise							
competent authority for reasons to be recorded							
discretion of the Staff Selection Commission or							
Note 1: The qualifications are relaxable at the							
degree.							
after the completion of certificate, diploma or							
(iii) The experience should have been acquired							
hospital in case of degree holders.							
record clint of firty of more sedded recognised							

deputation/ absorption, grades from which Committee exists, what is in which Union promotion or deputation / absorption is to be composition. **Public Service Commission** is made. to be consulted making in recruitment. (11)(12)(13)Promotion: From Group 'C' employees with three Group 'C' Departmental Promotion Consultation years regular service in level-1 (Rs. 18000-56900) in Committee (for considering promotion) with the Union the pay matrix and possessing qualifications consisting of: Public Service prescribed for direct recruits in column-7 Commission is 1. Additional Medical Superintendent, not necessary. Note - Where juniors who have completed their Safdarjang Hospital -Chairperson; qualifying or eligibility service are being considered 2. Deputy Director (concerned) for promotion, their seniors shall also be considered Directorate General of Health Services provided they are not short of the requisite qualifying -Member; or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, 3. Deputy Director Administration, whichever is less and have successfully completed Safdarjang Hospital -Member. their probation period, for promotion to the next Group 'C' Departmental Confirmation higher grade along with their juniors who have Committee already completed such qualifying or eligibility considering Confirmation) consisting service. 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjang Hospital -Chairperson; 2. Deputy Director (concerned) Directorate General of Health Services -Member;

3. Deputy Director Administration, Safdarjang Hospital -Member.

[F. No. A-11018/25/2024- MH -II] ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 17.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, समूह 'ग', भर्ती नियम 1981 को, जहां तक उनका संबंध फोटोग्राफर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में फोटोग्राफर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, फोटोग्राफर (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2025 है।
- 2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अईताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अईताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता:-** वह व्यक्ति-
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हे लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति: : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित